राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 76/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा राजेन्द्र मार्ग, भीलवाड़ा।	**बनाम**	1. श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र बालू लाल चौधरी निवासी प्लाट नंबर 238, भीलों का वास, ग्राम/पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री हरकेश मीना।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा राजेन्द्र मार्ग, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 4,25,000/– रूपये का ऋण दिनांक 07.02.2007 को, 5,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 20.07.2011 को, 4,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 08.05.2013 को एवं 26,200/– रूपये का ऋण दिनांक 17.02.2012 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – आवासीय सम्पत्ति जो पट्टा नं. 78, दिनांक 25.08.1989, ग्राम आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र बालू लाल चौधरी के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 2600 वर्ग फीट है एवं सम्पत्ति जो आटूण, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र बालू लाल जाट के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 1575 वर्ग गज है (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 04.04.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 10,77,254/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक 01.02.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।